<u>न्यायालयः—अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डीग (राजस्थान)</u>..

पीठासीन अधिकारीः— सरोज मीना,
राज.न्या.सेवा (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या :— 156 सन् 2026

सी.आई.एस. संख्या :— 259 सन् 2026

मुन्तरिम पुत्र नसरू आयु 24 साल निवासी ग्राम बल्देववास थाना खोह जिला डीग।

———**प्रार्थी / अभियुक्त**

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, डीग, (राजस्थान)

———**अप्रार्थी / अभियोगी**

प्रार्थना—पत्र बाबत् जमानत अंतर्गत धारा—438 दण्ड प्रक्रिया संहिता, बसिलसिले आपराधिक प्राथमिकी संख्या—182 / 2021 पुलिस—थाना—खोह, जिला—डीग(राजस्थान) अपराध अन्तर्गत धारा—376 भा0दं0सं0

<u>उपस्थितः—</u>

1- श्री सुनील दत्त शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2- विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
3- श्री जमालुददीन विद्वान अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

<u>आदेश</u>

<u>दिनांकः— 11.06.2026</u>

01— हस्तगत जमानत आवेदन पत्र प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से अन्तर्गत धारा—438 दण्ड प्रक्रिया संहिता, न्यायालय—हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण नियमानुसार दर्ज—पंजिका किया गया। प्रकरण से संबंधित अनुसंधान—पत्रावली को संबंधित पुलिस—थाना से तलब कर, प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। बहस सुनी गई एवं संबंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया।

02— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया श्रीमती फरमीना पत्नि आरिफ, पुत्री टुण्डल, जाति मेव, निवासी ग्राम बल्देववास, थाना खोह, जिला डीग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 182 / 2021 पुलिस थाना खोह में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गई कि दिनांक 05.07.2021 को वह अपने घर के अन्दर अकेली लेटी हुई थी, तभी अभियुक्त मुन्तरिम पुत्र नसरू उसके घर में घुस आया और उसकी गर्दन पर कट्टा लगाकर जबरन बलात्कार किया तथा जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने यह घटना अपने पति को बताई जिन्होंने उसे

रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात पुलिस थाना खोह में धारा 376 भा.द.सं. के तहत प्रकरण दर्ज हुआ। पुलिस अनुसंधान के पश्चात अंतिम प्रतिवेदन संख्या 86ध्2021 अदम बकू (झूठ में) पेश किया गया। परिवादिया द्वारा सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय एम.जे.एम. साहव, डीग के समक्ष प्रोटेस्ट याचिका पेश की गई। सुयोग्य न्यायालय ने पीडिता के धारा 161 व 164 दं.प्र.सं. के बयानों, गवाहान के बयानों तथा मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. का प्रसंज्ञान लेते हुए जमानती वारंट से तलब फरमाया। उक्त परिस्थितियों में अभि. प्रार्थी ने धारा 438 जा.फौ.सं. के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

03— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि उक्त प्रकरण से अभियुक्त/ प्रार्थी का कतई कोई सम्बन्ध नहीं है, महज उन्हें तंग व परेशान करने की नियत से उक्त प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। परिवादिया और प्रार्थी के मध्य जमीन को लेकर विवाद है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, और उसी विवाद में दबाव बनाने के उद्देश्य से यह मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिवादी पक्ष के धारा 161 व 164 जा.फौ0 तथा धारा 200 व 202 जा.फौ0 के तहत दिये बयानों में भारी विरोधाभास है तथा कोई भी प्रत्यक्ष साक्षी नहीं है। प्रार्थी/ अभियुक्त पढ़ा—लिखा व्यक्ति है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, गिरफ्तारी से उसके भविष्य पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपने पते का स्थाई निवासी है, उसके भागने अथवा गवाहान को प्रभावित करने का कोई अंदेशा नहीं है। परिवादिया के मेडिकल में कोई भी बाहय चोट नहीं पाई गई है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

04— अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. जैसे गम्भीर एवं जघन्य अपराध का आरोप है।पीडिता के धारा 161 व 164 दं.प्र.सं. के बयान सुस्पष्ट एवं सुसंगत हैं तथा घटना की संपुष्टि करते हैं। पीडिता की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों के आधार पर धारा 376 भा.द.सं. का प्रसंज्ञान लिया गया है तथा उक्त प्रसंज्ञान आदेश अपीलीय न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश द्वारा दिनांक 19.05.2025 को सम्पुष्ट किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत दिये जाने से पीडिता एवं गवाहान पर दबाव पड़ने की सम्भावना है।

05— अभियुक्त के विरुद्ध वर्तमान प्रकरण के अतिरिक्त पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	मुकदमा सं0	धारा	पुलिस थाना
–	–	निल	–

06– बहस पर मनन किया एवं केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा.द.सं. (बलात्कार) के गम्भीर एवं जघन्य अपराध का आरोप है। यह अपराध समाज के विरुद्ध है तथा पीडित महिला की गरिमा एवं सम्मान पर आघात करने वाला है। पीडिता के धारा 161 व 164 दं.प्र.सं. के बयानों में घटना का स्पष्ट उल्लेख है। सुयोग्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयान में पीडिता ने अभियुक्त द्वारा जबरन बलात्कार किये जाने तथा गर्दन पर कट्टा लगाकर जान से मारने की धमकी देने का कथन किया है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर धारा 376 भा.द.सं. का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अपीलीय न्यायालय ने इस आदेश को सम्पुष्ट किया है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह तर्क कि परिवादिया ने जमीनी विवाद के कारण झूंठा मुकदमा दर्ज कराया है यह तथ्य विचारण के दौरान विषयगत है। इस स्तर पर उक्त तर्क को जमानत का आधार नहीं माना जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्व धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता जैसे जघन्य यौन अपराध का आरोप है तथा अभियुक्त द्वारा जबरन बलात्कार के समय पीडिता की गर्दन पर कट्टा लगाकर जान से मारने की धमकी दिया जाना अपराध की गम्भीरता को और अधिक बढ़ाता है।

07– उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं विवेचना के आधार पर अभियुक्त/प्रार्थी का अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

<u>आ दे श</u>

08– फलस्वरूप अभियुक्त मुन्तरिम पुत्र नसरू आयु 24 साल निवासी ग्राम बल्देववास थाना खोह जिला डीग का जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज दिया जाता है।

(सरोज मीना)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डीग जिला डीग

09– आदेश आज दिनांक 11.06.2026 को लिखाया, हस्ताक्षरित किया व सरे इजलास सुनाया गया।

(सरोज मीना)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डीग जिला डीग